

निजीय आयुक्त महोदय के अवरकोमार्स

ANNEXURE - I

कार्यालय जिला नॉजस्ट्रेट, जयपुर ।

दिनांक: 10/01/06

क्रमांक: चायागुप-210 धा : 213

सविध,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर ।

विषय:- कंक तृदावन से जयपुर फोर्ट तक रोप के
बी.ओ.टी. के आधार पर चालू करने
की अनुमति बालत ।

प्रसंग:- कामना पत्रांक: जे.डी.सी. 10/20/05 ई-01-200 प्र।
डी-522 दिनांक: 26-12-05 के क्रम में ।

महोदय,
उपरोक्त विषय में प्राथमिक पत्र जाता है कार्यलय से
की राजस्वान रोपवेज एक्ट, 1925 के तहत राजस्वान रोपवेज एक्ट, 2000
के तहत कंक तृदावन से जयपुर फोर्ट तक रोप के बी.ओ.टी. के आधार
पर चालू करने की अनुमति वांछनी गयी है ।

अतः जाफन रोपवे से संबंधित एक्ट व रूल के तहत
कंक तृदावन से जयपुर फोर्ट तक रोप के बी.ओ.टी. के आधार पर
कार्य करने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है तथा यह भी निर्दिष्ट दिखे
जाति है कि रोपवे का निर्माण नियमानुसार पूर्ण हो जाने पर इस कार्यलय
से नियमानुसार अनुदान-पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही करे ।

भवदीय,
जिला कलक्टर,
जयपुर ।

पत्रावली प्राप्त होने पर
उसमें नरजी करें।

DA

छायाप्राप्ति प्रमाणित

For DAMODAR

Zonal Engineer-7

अधिशायी अभियन्ता (रिंग रोड)
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

अधिशायी अभियन्ता (पी.डी.सी-1)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

for Approval

12-1-06

12-1-06

12-1-06

will also
or degree

12-1-06

12-1-06

12-1-06

12-1-06

12-1-06

12-1-06

12-1-06